"बिजनेस पोस्ट के अन्तर्गत डाक शुल्क के नगद भुगतान (बिना डाक टिकट) के प्रेषण हेतु अनुमत. क्रमांक जी.2-22-छत्तीसगढ़ गजट / 38 सि. से. भिलाई, दिनांक 30-05-2001."

पंजीयन क्रमांक
"छत्तीसगढ़/दुर्ग/09/2012-2015."

छत्तीसगढ़ राजपत्र

(असाधारण)
प्राधिकार से प्रकाशित

क्रमांक 407] रायपुर, शुक्रवार, दिनांक 25 जुलाई 2014— श्रावण 3, शक 1936

नगरीय प्रशासन एवं विकास विभाग
मंत्रालय, महानदी भवन, नया रायपुर

रायपुर, दिनांक 25 जुलाई 2014

अधिसूचना

क्रमांक एफ 1-7/2014/18. — छत्तीसगढ़ नगर पालिक निगम अधिनियम, 1956 की धारा 14-क की उपधारा (2) एवं नगरपालिका अधिनियम, 1961 की धारा 32-क की उपधारा (2) द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए, राज्य सरकार एतद्द्वारा नगर पालिक निगमों, नगरपालिका परिषदों एवं नगर पंचायतों के महापौर तथा अध्यक्षों के निर्वाचन के लिए व्यय की सीमा निम्नानुसार निर्धारित करता है :-

क्र. (1)	निकाय का विवरण (2)	2011 की जनगणना अनुसार जनसंख्या (3)	निर्वाचन व्यय की प्रस्तावित अधिकतम सीमा (4)
1.	नगर पालिक निगम	5 लाख से अधिक	रुपये 10 लाख
		3 लाख से 5 लाख	रुपये 8 लाख
		3 लाख से कम	रुपये 7 लाख
2.	नगरपालिका परिषद्	50 हजार से ऊपर	रुपये 5 लाख
		50 हजार से कम	रुपये 4 लाख
3.	नगर पंचायत		रुपये 3 लाख

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
एम. एम. मिंज, उप-सचिव.

रायपुर, दिनांक 25 जुलाई 2014

क्रमांक एफ 1-7/2014/18. — भारत के संविधान के अनुच्छेद 348 के खण्ड (3) के अनुसरण में इस विभाग की अधिसूचना क्रमांक एफ 1-7/2014/18, दिनांक 25-07-2014 का अंग्रेजी अनुवाद राज्यपाल के प्राधिकार से एतद्द्वारा प्रकाशित किया जाता है.

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
एम. एम. मिंज, उप-सचिव.

Raipur, the 25th July 2014

NOTIFICATION

No. F 1-7/2014/18. — In exercise of the powers conferred under sub-section (2) of Section 14-A of Chhattisgarh Municipal Corporation Act, 1956 and sub-section (2) of Section 32-A of Chhattisgarh Municipalities Act, 1961 the State Government hereby, fixes the limits of expenditure for the election of Mayor and President of Municipal Corporations, Municipal Councils and Nagar Panchayats as follows :-

S. No. (1)	Details of Urban local body (2)	Population as per census 2011 (3)	Maximum limit of election expenses (4)
1.	Municipal Corporation	above five lacs	Rs. 10 lacs
		therr lacs on five lacs	Rs. 8 lacs
		below three lacs	Rs. 7 lacs
2.	Municipal Council	above five thousand	Rs. 5 lacs
		below five thousand	Rs. 4 lacs
3.	Nager Panchayat		Rs. 3 lacs

By order and in the name of the Governor of Chhattisgarh,
M. M. MINJ, Deputy Secretary.

संचालक, मुद्रण तथा लेखन सामग्री, छत्तीसगढ़ द्वारा शासकीय मुद्रणालय, रायपुर से मुद्रित तथा प्रकाशित - 2014.